

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

थी श्री प्रताप

विपक्षी श्री राजा

कैस मुकदमा श-वा

प्रकरण संख्या- 11/2018

दिनांक	कार्यवाही विवरण
<u>15/08/24</u>	<p>का. पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 4 उप.। वकील प्रतिवादी न प्रतिवादी सं. 2, 3 व 5 की ओर से वकालतनामा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किये हेतु भवत्तर खाता न्यायद्वित में अंतिम भवत्तर दिया जाता है। मि. वास्ते वकालतनामा/जवाब प्रतिवादीगण के दिनांक 20/08/24 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर सलुम्बर जिला सलुम्बर</p>
<u>20/08/24</u>	<p>का. पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 4 उप.। मि. वास्ते वकालतनामा/जवाब प्रतिवादीगण के दिनांक 23/10/24 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर सलुम्बर जिला सलुम्बर</p>
<u>23/10/24</u>	<p>पत्रावली पेश हुई/वादी-प्रतिवादी उपरिधत पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/भ्रमण...<u>प्रताप कार्य</u> होने से पत्रावली दि. <u>31/12/24</u> को पेश होवे।</p> <p>आज्ञा से <i>(Signature)</i> रीडर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर</p>
<u>31/12/24</u>	<p>का. पेश हुई। वादीगण मय आधीवक्ता मसुदा/प्रतिवादी आधीवक्ता उप.। वादीगण मय आधीवक्ता को न्यायालय समय पर विधिवत रूप से बार-बार भावाजे लगवाई गई इसके उपरान्त श्री वादीगण मय आधीवक्ता के गैर-हाजिर रहने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.A. का भद्रम टाजरी व भद्रम पौरी में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली केसल भुमार हो।</p> <p>सहायक कलक्टर सलुम्बर जिला सलुम्बर</p>